International Journal in Management and Social Science
Volume 14 Issue 02, February 2026 ISSN: 2321-1784 Impact Factor: 7.088
Journal Homepage: http://ijmr.net.in, Email: irjmss@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal

भारतीय लोकतंत्र एवं मतदाता जागरूकता

डॉ. संगीता मेश्राम

सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र)

शासकीय महाविद्यालय लालबर्रा,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

भूमिका

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त सम्प्रभु राष्ट्र बनने के साथ ही भारत ने एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में जन्म लिया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के पश्चात् से भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया जिसका अर्थ है कि भारत राष्ट्र के प्रधान एवं सरकार लोकतांत्रिक पद्धति से निर्वाचित होगे अनुवांशिक नहीं भारत में निष्पक्ष रूप से निर्वाचन के संचालन हेतु भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। देश में प्रत्येक व्यस्क पात्र भारतीय नागरिक को मताधिकार प्रदान किया गया है। अपने मत का सही प्रयोग मतदाता कर सके एवं मतदान की प्रणाली की जानकारी हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर मतदाताओं को जागरूक करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भारत एक विविधता वाला देश होने के साथ ही ग्रामीण परिवेश के मतदाताओं की भी अधिकता है। युवा मतदाताओं को भी यथा शीघ्र मतदाताओं को मतदाता सूची में दर्ज किया जाता है परिवेशों की विभिन्नतायें कई बार व्यक्ति एवं नागरिक को प्रभावित करती है, नागरिकों को निर्वाचन एवं मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु निर्वाचन आयोग एवं शासकीय प्रयासों कार्यों को इस शोध पत्र में प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय लोकतंत्र एवं मतदाता जागरूकता की आवश्यकता

भारत वर्ष में प्रारंभ में राजतंत्रिय शासन प्रणाली थी ब्रिटिश शासन ने प्रशासनिक सुविधा हेतु भारत को एक शासन व्यवस्था के सूत्र में बांधा। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त देशी रियासतों एवं राज्यों का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ एवं वशानुगत शासन व्यवस्था का अंत हुआ भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसका अर्थ है भारत का सांविधानिक प्रमुख निर्वाचित होगा अनुवांशिक नहीं होगा। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार के रूप में परिभाषित किया

भारत में लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रकिया प्रारंभ हो गई जितना महत्वपूर्ण निर्वाचन है उतना ही महत्व मतदाताओं का भी है क्योंकि मतदाता के वोट से ही सरकार का निर्माण होता है। भारत में संसद विधानसभा, पंचायत राज एवं विभिन्न संवैधानिक पदों हेतु निर्वाचन की व्यवस्था है। इसके साथ ही मतदाताओं के मार्गदर्शन एवं जागरूकता हेतु विशेष अभियान भी चलाये जाते है।

भारत में इन अभियानों, प्रशिक्षणों, जागरूकता कार्यकमों की आवश्यकता भी है क्योंकि जातिवाद भाषावाद, क्षेत्रवाद गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा रूढ़िवादी समाज व्यवस्था भी कई बार मतदाताओं को प्रभावित करते हैं जो प्रथम बार वोटर बने है उन्हें भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।

भारत निर्वाचन आयोग

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के विषय में बताया गया है इस आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्त होते है। इनकी नियुक्ति संसद द्वारा बनाये गये कानूनों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है

अनुच्छेद 324 (1) के अनुसार निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन की शक्तियों प्रदान की गई है।

25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई इनकी शक्तियों एवं कार्यों में से एक कार्य मतदाताओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना भी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश में चुनाव सुधार के साथ-साथ मतदाताओं के जागरूकता एवं प्रशिक्षण का कार्य भी किया जाता है ताकि नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़ाये एवं मतदाता जागरूक एवं निर्भय होकर अपने मत का अनिवार्यतः प्रयोग करे।

भारत में मतदान की आयु

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयरक मताधिकार का प्रावधान है स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष थी। भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1968 द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। कम उम्र से ही युवाओं में नागरिक जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी एवं लोकतंत्र की जड़े और मजबूत होगी।

भारत में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम

भारत में मतदान की आयु कम करने के बाद से ही मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है एवं कई बार वे निर्वाचनों में मतदान केन्द्रों तक पहुंचने में रूचि भी नहीं लेते है। उदाहरण वी लिए 1971 के लोकसभा निर्वाचन में केवल 55.22 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। साथ ही गरीबी, अशिक्षा, रूढ़िवादिता भी मतदाताओं की रूचि को कम करती है। भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारतीय नागरिकों को जागरूक करने हेतु मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

- मतदाताओं को प्रोत्साहित एवं जागरूक करने तथा सार्वभौमिक मताधिकार को बढ़ावा देने के लिए देश में 25 जनवरी भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 2011 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन स्कूल, महाविद्यालयो विनिन्न संस्थाओं में नागरिकों हेतु किया जाता है।
- भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल अथवा मतदाता हेल्पलाइन एप से पंजीकृत हो सकते हैं। मतदाता सूचि की जांच हेतु electoralsearch.in हेल्पलाइन ऐप का उपयोग कर सकते हैं।
- CVIGIL ऐप के द्वारा निर्वाचन संबंधी रिपोटिंग कि जा सकती है।
- दिव्यांग एवं 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिए हो उन मतदाताओं के लिए विशेष रूप से चलित मतदान की भी व्यवस्था की जाती है। जिसमें उनके घर मतदान दल जाकर मतों का संकलन करते है।
- मतदाता शिक्षा हेतु भारत निर्वाचन आयोग 2009 से स्वीप गतिविधि का संचालन मतदाता शिक्षा निर्वाचक सहभागिता हेतु कर रहा है।
- शिक्षण संथाओं में निर्वाचन साक्षरता क्लब का अनिवार्यत: गठन एवं मतदाता जागरूकता कार्यकर्मों का संचालन मतदाता सूची में नाम जुड़याने हेतु जानकारी एवं शिक्षण संस्था में विशेष कॅम्प का आयोजन किया जाता है।

- निर्वाचन पूर्व इवीएम के प्रयोग एवं वीवीपेड के विषय में जानकारी हेतु प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। प्रशिक्षण सामग्री भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइड पर मतदाताओं के लिए मार्गदर्शिका भी उपलब्ध है।

<u>निष्कर्ष</u>

विशाल जनसंख्या एवं विविधता पूर्ण परिवेश होने की वजह से भारत में निर्वाचन का संचालन कठिन कार्य है किन्तु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के साथ-साथ मतदाताओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करने का कार्य भी कुशलता पूर्वक विल्या जा रहा है। विभिन्न ऐप के माध्यम से मतदाताओं की सहायता, जागरूकता, प्रशिक्षण, विभिन्न प्रतियोगिताएँ एवं कार्यक्रमों के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग निरन्तर भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुडवाने, कटवाने संशोधन एवं अपने मत का अनिवार्यतः प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने में निरन्तर कार्यरत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- पाण्डेय, आनंद कुमार पाण्डेय, श्रीगती अर्चना (2022) भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल।
- फड़िया, डॉ बी एल, फड़िया, डॉ० कुलदीप (2015) राजनीति विज्ञान कैलाश पुस्तक सदन भोपाल।
- राजी मुहम्मद (2022) चुनाव नीतिः हिन्द युग्म नोएडा।
- चौधरी, डॉ, लाखा राम (2019) भारत में चुनावी राजनीति एवं चुनाव सुधार के प्रयास राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
- https://www.ceodelhi.gov.in
- https://ecisveep.inc.in
- https://hindi.eci.gov.in